संख्या-7/22/2008-ई.III-ए

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

संस्था- III(क) अनुभाग

नई दिल्ली, दिनांक 3 अक्तूबर, 2013

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- वर्ष 2012-13 के लिए केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को उत्पादकता असंबद्ध बोनस (तदर्थ बोनस) प्रदान किए जाने संबंधी आदेश को स्वायत्त निकायों के लिए भी लागू करना।

इस मंत्रालय के 27 सितम्बर, 2013 के कार्यालय ज्ञापन सं. 7/24/2007-ई.III(ए) द्वारा केन्द्र सरकार के ऐसे पात्र कर्मचारियों को, जो उत्पादकता से संबद्ध बोनस (पी.एल.बी.) स्कीम के अंतर्गत नहीं आते, उक्त कार्यालय ज्ञापन में [illegible] शर्तों पर लेखा वर्ष 2012-2013 के लिए 30 दिन की परिलब्धियां उत्पादकता असंबद्ध बोनस [illegible] के रूप में प्राधिकृत करने के आदेश जारी किए गए हैं।

2. अधोहस्ताक्षरी को [illegible] निदेश हुआ है कि अब यह निर्णय लिया गया है कि उपर्युक्त आदेशों में निर्धारित [illegible] शर्तों के अधीन यथास्वीकार्य उत्पादकता असंबद्ध बोनस (तदर्थ बोनस) ऐसे स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों [illegible] जिनका [illegible] अंशतः अथवा पूर्णतः केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है और जो [illegible] कर्मचारियों के समान वेतन संरचना और परिलब्धियों की पद्धति का अनुसरण करते हैं और [illegible] कोई बोनस या अनुग्रह राशि या प्रोत्साहन स्कीम प्रचालन में नहीं है।

3. इन आदेशों [illegible] किसी तरह की स्थिति में, इस मंत्रालय के समय-समय पर [illegible] संस्था समन्वय [illegible] द्वारा परिचालित [illegible] आदेशों का [illegible]

4. [illegible] उत्पादकता असंबद्ध बोनस (तदर्थ बोनस) के कारण व्यय की पूर्ति के लिए सरकार द्वारा [illegible] किसी भी अनुरोध पर संबंधित मंत्रालयों द्वारा 27 सितम्बर, 2013 के [illegible] को ध्यान में रखते हुए विचार नहीं किया जाएगा कि उत्पादकता असंबद्ध बोनस [illegible] पर होने वाले व्यय की पूर्ति, संबंधित संगठनों के मौजूदा बजट [illegible] चाहिए। यद्यपि ऐसे स्वायत्त निकाय भी जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा धन नहीं दिया जाता है, अपने प्रशासनिक [illegible] निर्णय के अनुसार अपने कर्मचारियों के संदर्भ में इन आदेशों को लागू कर सकते हैं तथा इससे [illegible] का कोई भी दायित्व किसी भी स्थिति में केन्द्र सरकार पर नहीं होगा।

अमरनाथ सिंह

(अमर नाथ सिंह)

उप सचिव, भारत सरकार

भारत सरकार के सभी मंत्रालय [illegible] (संलग्न विवरण सूची के अनुसार)।